न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 38/2021 जिला सीकर

1. मगन सिंह
2. रणजीत सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह
   पुत्रान छीतर सिंह, जाति राजपूत निवासीयान ग्राम अरणिया(मुण्डरू) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
4. पुष्पा कंवर पत्नी बलवीर सिंह,
5. रिछपाल सिंह पुत्र विजय सिंह
6. मोहन कॅवर पत्नी छीतर सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम ग्राम अरणिया(मुण्डरू) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर। (राज.)
2. सूरजमल पुत्र चन्दूराम जाति अहीर यादव निवासी ग्राम अरणिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर। (राज0)
3. तहसीलदार, श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर कैम्प जैतुसर/02 दिनांक 30.05.2018 क्रमांक/राजस्व/2018/कैम्प/जैतुसर/02, जिसके द्वारा उन्होंने अपीलांटस काबिज रिकार्डेड खातेदार—काश्तकार को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही, उनकी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख.नं. 2335 रकबा 0.40 है0 बारानी—3 को राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर रास्ता दर्ज करने का एक पक्षीय आदेश पारित किया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त दीक्षित
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 3 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. रेस्पोडेन्ट नं. 2 श्री लालचन्द जाट

निर्णय

दिनांक —05.07.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.05.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 10.08.2021 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 25.05.2018 को रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये गये। मुताबिक प्रस्ताव रास्ता प्रचलित है तथा वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ता चालू है। जो सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। रास्तो में किसी प्रकार का अवरोध व रूकावट नहीं है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने बाबत अभिशंषा कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को भिजवाये गये। प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार, श्रीमाधोपुर के द्वारा अभिशंसित प्रस्तावनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश किया गया कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना. करण रास्ते के पृथक नंबर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की

Scanned by CamScanner

किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखे जाने के आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 30.05.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सूरजमल पुत्र चन्दूराम जाति यादव ने जब तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष खसरा नम्बर 2334, व 2335 स्थित ग्राम अरणिया को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया तो उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 21.5.2018 को पटवारी हल्का ने स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की थी कि उक्त खसरा नंबर 2335 की खातेदारी पुष्पा कंवर पत्नी बलवीर सिंह जाति राजपूत व अन्य अपीलांटस की दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी है तो तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी का यह परम कर्तव्य था कि वे अपीलान्टस काबिज, रिकार्डेड खातेदार खसरा नम्बर 2335 स्थित ग्राम अरणियां तहसील श्रीमाधोपुर को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये ही आदेश पारित करते, किन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांटस खातेदारों को बिना कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही जो एक पक्षीय आज्ञा जैर अपील बाबत खसरा नंबर 2335 में रास्ता दर्ज करने हेतु एक पक्षीय रूप से पारित की है। यदि रेस्पोडेन्ट सं. 2 को स्वंय की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता भी है तो उसके लिए विधि में पृथक से प्रावधान दिये हुये हैं। धारा 251 (ए) राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, 1955 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी किसी भी खातेदार से उचित डी.एल.सी. दर का भुगतान अन्य पडौसी काश्तकार खातेदार को मुआवजा प्रदान कराते हुए रास्ता प्रदान कर सकता है, किन्तु इस प्रकार से भू–राजस्व अधिनियम की धारा 132, 132–ए में किसी खातेदार को बिना सुने एक पक्षीय रूप से किसी की खातेदारी भूमि में से किस्म परिवर्तन करते हुए रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता है तथा न ही मौके पर आने–जाने हेतु कोई रास्ता प्रदान किया जा सकता है। फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित फरमा दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2018 को निरस्त किया जावे। अपीलान्ट को उक्त आज्ञा जैर अपील दिनांक 30.05.2018 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 3.8.2021 को उस वक्त हुई, जब तहसीलदार, श्रीमाधोपुर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 23.07.21 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रकरण संख्या /2021 उनवानी श्री सुरजाराम पुत्र चन्दूराम बनाम श्री मगन सिंह वगैरहा का तामील कराने हेतु तहसील का कर्मचारी, अपीलांटस के घर आया, तब अपीलान्टस ने उक्त नोटिस दिनांक 4.08.21 नियत व अंकित तारीख का दिनांक 3.8.21 को प्राप्त कर तहसीलदार जी के समक्ष दिनांक 4.8.21 को उपस्थित हुआ, तथा उनके समक्ष प्रकरण में जवाबदेही व कार्यवाही करने बाबत समय प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा उसी दिन दिनांक 4.8.2021 को संबंधित उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर के न्यायालय में जाकर संपूर्ण प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर नकलें प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तथा दिनांक 5.8.2021 को नकलें प्राप्त कर दिनांक 6.8.2021 को जयपुर आकर अपील पेश करने हेतु अभिभाषक महोदय से सम्पर्क किया। अपीलान्ट ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर समाहत फरमाई जावे।

अतिरिक्त, संभागीय आयुक्त

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 25.05.2018 की रिपोर्ट अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये गये। मुताबिक प्रस्ताव

Scanned by CamScanner

अनुसार रास्ता प्रचलित है तथा वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ता चालू है जो सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। रास्तो में किसी प्रकार का अवरोध व रूकावट नहीं है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने बाबत अभिशंषा कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को भिजवाये गये। तहसीलदार, श्रीमाधोपुर के द्वारा अभिशंसित प्रस्तावनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश किया गया कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना. करण रास्ते के पृथक नंबर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखे जाने के आदेश दिये गये। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है, आम रास्ता है, शिविरों के दौरान ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा नोटिस जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 05.08.2021 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करनें में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खसरा नं. 2335 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान सरकार (राजस्व विभाग) के परिपत्र 2016 एवं 2021 के अनुसार पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

<u>अतः</u> अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 30.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner